संख्या- 126 /2016/2710/24-1-16-81पी/2004 टी0सी0-।।।

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा निदेशालय, विभूति खण्ड-2,
गोमतीनगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में विद्युत सुरक्षा निदेशालय को आयोजनेत्तर मद में मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-303 मु0/वाहन, दिनांक 16.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में विद्युत सुरक्षा निदेशालय को आयोजनेत्तर मद में लेखाशीर्ष के मानक मद-14 के अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 17,00,000/- (रूपये सत्रह लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 16,34,581/- (रूपये सोलह लाख चौंतीस हजार पॉच सौ इक्यासी मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय के प्रयोगार्थ इन्नोवा यूरो IV (टीजी) (इन्नोवा क्रिस्टा 2.4 जी पैकेज एक्स, 7 सीटर) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम अनुभाग-2 के संख्या-844/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक इन्नोवा वहन जिसकी लागत रूपये 14,00,000/- (रूपये चौदह लाख मात्र) से अनाधिक होगी एवं ओमनी 8 सीटर धनराशि रूपये 2,34,581/- (रूपये दो लाख चौतीस हजार पॉच सौ इक्यासी मात्र) (डी0जी0एस0एण्डडी0 दर) के क्रय पर व्यय की जायेगी।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित नियमों/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। इसके अतिरक्ति वाहनों के क्रय से संबंधित विधमान आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय की जाने वाली उपरोक्त गाडियॉ डी0जी0एस0 एण्ड डी रेट पर क्रय की जायेगी।

4- शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क- आयोजनेत्तर-103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-03-विद्युत सुरक्षा निदेशालय-14-गोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-यू0ओ0-268/दस-2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 126 /2016/2710(1)/24-1-16, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in